

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत

संख्या-4520 / 11(2)/15-08(नू0म0घो0)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

जाति

19.6.15

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 19 जून, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 36 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 36 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी लम्बाई 179.00 किमी0 + 10 सेंतु तथा लागत ₹ 1344.36 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1344.36 लाख (ए तेरह करोड़ चवालीस लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 36 कार्यों हेतु ₹ 3.60 लाख (ए तीन लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की महानहिन श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य करुने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापरीक्षा-5054 सड़कों तथा सेंतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-300-अन्य व्यय-06-सड़कें/भवन/सेंतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 इन्हन निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निर्वर्तन पर रखे गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सन्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अनुवक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निर्वर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-209/XXVII(2)/2015 दि०- 17 जून, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

Ok

संख्या:- 4520 / 111(2) / 15-08(म०म०च०) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए०एस०पांगती)
उप सचिव

24/6/15
512 / मा० मु० प्र०

प्रो.नि.वि. मुख्यालय, देहरादून के 24/6/15

प्रो.नि.वि. मुख्यालय, देहरादून के 24/6/15

वित्त अनुभाग, निदेशक, उत्तराखण्ड के 24/6/15

25/6/15

गाननादेश संख्या:- 4520 / 111(2)/15-08(न०न०घ०)/2015 दिनांक 19 जून, 2015 का संलग्नक

21	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 601/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र- यमकेश्वर के अन्तर्गत दुगड़ा-जुवा मोटर मार्ग के किमी० 1 में लंगूरीगाड पर 30 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	30 mtr.	14.40	0.10
22	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 602/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र- यमकेश्वर के अन्तर्गत हनुमंती-उफैखाल मोटर मार्ग का विस्तार।	5.00	41.00	0.10
23	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-939/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र -घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत चमियाला-श्रीकोट से छनासणी देवी मन्दिर होते हुए सेन्दुल-पटुडगांव मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	3.00+ 72 mtr	21.40	0.10
24	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-713/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र -घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत एल.के.सी. मोटर मार्ग के किमी०-10 से चंगोरा-तुसाणा-अणुवा-मयकोट-राजगांव-घाट तक मोटर मार्ग का 02 सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	8.00 + 21mt + 40 mtr	33.29	0.10
25	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.00	54.60	0.10
26	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-92/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम अमगढी से जौयू तक मार्ग का नव निर्माण	2.00	2.00	0.10
27	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-391/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के अन्तर्गत बारमगाड-रेई मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	26.76	0.10
28	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-392/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के अन्तर्गत थराली-सूना-पैनगढ़ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	32.80	0.10
29	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-393/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग का दो सेतु सहित निर्माण।	9.00 + 24 mt + 30mt	126.18	0.10
30	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-395/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के अन्तर्गत बिजौरागाड-पालछुनी-परखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	32.80	0.10
31	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-398/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के अन्तर्गत बगडीगाड धुरा-धारकोट से बौक-पिनाऊ तक एक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	23.00 + 42 mtr	191.54	0.10
32	ना० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-466/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-बौधढाखाल के विकास खण्ड एकेश्वर में नौगावखाल मोटर मार्ग के राजपुरा-राजपुरा-नैना मोटर मार्ग के किमी० का नव निर्माण कार्य।	8.00	43.14	0.10

photo copy submitted

(23) नौगावखाल चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)

32.80

442.88

(कुल ₹ तीन लाख साठ हजार मात्र)

photo copy other
Coff

(ए. एस. ए. पी.)
उप सचिव